

2

॥ ओउम सिद्धिदात्री नमः ॥


लेखपत्र / विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा जैत, तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : बिक्रय रकवा 0.32825 हैक्टेयर
4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
5. प्रतिफल की धनराशि : 32,83,000 / -रुपये
6. मालियत : 32,83,000 / -रु.
7. देय स्टाम्प : 2,29,900 / -रु. के ई-स्टाम्प जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट-1,00,00,000 / -रुपया प्रति हैक्टेयर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।
9. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक ॥ मथुरा।
10. विक्रेता-क्रेता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

प्रथम पक्ष की संख्या : (1)

विक्रेता का विवरण

पंकज गौतम पुत्र श्री रामदेव गौतम निवासी-ग्राम छटीकरा, तहसील व जिला मथुरा  
मो0-9917049671 पेन-ए वाई वाई पी जी 1007 एच





द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)

क्रेता का विवरण

कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री राम नरेश निवासी-40, सैक्टर 4, श्री राधापुरम  
एस्टेट, गनेशारा, मथुरा  
पेन-ए आई के पी सी 0965 सी मो0-9897576341


जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के अनुसार खाता सं. 151 खसरा नं. 372 रकवा 2.6270 है0 सम्पूर्ण अंश लगानी कागजातानुसार स्थित मौजा जैत, तहसील व जिला मथुरा में हिस्सा रकवा-0.6565 है0 सम्पूर्ण अंश मिल्कियत बिक्रेता प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेता का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेता ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चला आता है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की बाबत कोई इकरारनामा किसी के साथ तय किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेता की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेता प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष

Pankaj



*[Handwritten signature]*





विक्रेता का सरासर लाम है। अतः विक्रेता प्रथमपक्ष अपना हिस्सा रकवा-0.6565 है0 सम्पूर्ण अंश में से बिक्रय रकवा 0.32825 हैक्टेयर भूमि जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा वं सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बरेवज 32,83,000 /-रु. (बत्तीस लाख तिरासी हजार रूपये) में बदस्त कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री राम नरेश निवासी-40, सैक्टर 4, श्री राधापुरम एस्टेट, गनेशारा, मथुरा खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रूपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी रकवा 0.32825 हैक्टेयर भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या कोई भी झगडा झंझट आदि निकले या कोई वाद विवाद विचाराधीन पाया जावे या खरीदार द्वितीय पक्ष को

Pankaj



*[Handwritten signature]*



विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8211

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 3283000 स्टाम्प शुल्क- 229900 बाजारी मूल्य - 3283000 पंजीकरण शुल्क - 32830 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 32890

श्री पंकज गौतम,  
पुत्र श्री रामदेव गौतम  
व्यवसाय : अन्य

निवासी: ग्राम छटीकरा तह० व जिला मथुरा

*Pankaj*



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/04/2022 एवं 03:38:16 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*me*  
महेन्द्र प्रताप सक्सेना प्र०

उप निबंधक :सदर प्रथम

मथुरा

29/04/2022

*[Signature]*  
नरेन्द्र कुमार सक्सेना

निबंधक लिपिक

29/04/2022

प्रिंट करें



उसकी बाबत कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा विक्रेता स्वयं पूरे जिम्मेदार होंगे तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है और उक्त आराजी में कोई पेड बोरिंग कुँआ, ट्यूबवैल आदि नहीं है।

अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थचित्त होशो-हवास में बिना किसी दबाब के स्वेच्छापूर्वक खूब सोच समझकर बिना किसी दबाब के लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Pamla



J. J. J.



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8211

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री पंकज गौतम, पुत्र श्री रामदेव गौतम

निवासी: ग्राम छटीकरा तह० व जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

*Pankaj*



श्री कृष्ण कुमार चौबिया, पुत्र श्री राम नरेश

निवासी: 40 सेक्टर-4 श्री राधापुरम एस्टेट गनेशरा मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

*Krishna*



श्री विवेक, पुत्र श्री नितिन

निवासी: महाविधा कॉलौनी मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

*Vivek*



श्री सौरव कुमार, पुत्र श्री प्रेमचन्द

निवासी: जाटौली रथवान भरतपुर राज०

व्यवसाय: अन्य

*Saurav*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*M. H.*  
महेन्द्र प्रताप सक्सेना प्र०

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा

29/04/2022


नरेन्द्र कुमार सक्सेना

निबंधक लिपिक मथुरा

29/04/2022

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए  
गए हैं।



टिप्पणी:



विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल 32,83,000 /- रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-  
 15,00,000 /- रुपये ट्रान्सफर पंजाब नेशनल बैंक  
 10,00,000 /- रुपये चैक नम्बर-583293 पंजाब नेशनल बैंक  
 7,83,000 /- रुपये चैक नम्बर-583294 पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किये।  
 यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व  
 दिखाकर ज़ाफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 29.03.2022  
 टाईप किया : इमरान  
 ज़ाफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।

साक्षी-1. विवेक पुत्र श्री नितिन  
 निवासी महाविद्या कॉलोनी मथुरा।



2. सौरव कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द  
 निवासी-जाटौली रथवान, भरतपुर राजस्थान






आवेदन सं०: 202200764012485

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17311 के पृष्ठ 45 से 60 तक क्रमांक 8211 पर  
दिनांक 29/04/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



महेन्द्र प्रताप सक्सेना प्र०

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा

29/04/2022

प्रिंट करें



माही मरणा आवाजी खसरा नं. 372 रकवा  
2.6270 हे० से खिसरा रकवा 0.6565 हे० सम्पूर्ण असे  
से से खिसरा रकवा 0.32825 हे० खिसत मीमा - जे

तहसील व जिल्हा मथुरा

विक्रता: पंकज गोलम पुत्र श्री रामदेव गोल्म

प्रेता: छुजा कुमार चौबिया

प्रतीप

प्रेता

खसरा  
नं. 372  
खिसरा रकवा  
0.32825 हे०

विक्रता

५०

५०

५०


५०

माही मरणा आवाजी

माही मरणा आवाजी

माही मरणा आवाजी

1. ~~तथा 1974-75 का बजट में 100 करोड़ रुपये का अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रावधान है।~~  
 2. ~~इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1974-75 में 100 करोड़ रुपये का अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रावधान है।~~  
 3. ~~इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1974-75 में 100 करोड़ रुपये का अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रावधान है।~~  
 4. ~~इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1974-75 में 100 करोड़ रुपये का अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रावधान है।~~  
 5. ~~इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1974-75 में 100 करोड़ रुपये का अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रावधान है।~~



यह नक्शा प्रलय सं. 82.11/62  
 के अंतर्गत है।

उम मिश्रा  
 इलाहाबाद